(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आरएएस

राजस्व वाद सं.– 226/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/835

1. **महताब** सिंह पुत्र स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
2. **हवासिंह** पुत्र स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
3. **श्रीमति गुड्डी** देवी पत्नि स्व. समुन्द्रसिंह पुत्रवधु स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
4. **प्रियंका** पुत्री स्व. समुन्द्रसिंह नवीरा स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
5. **राहुल** पुत्र स्व. समुन्द्रसिंह पुत्रवधु स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
6. **खजानी** देवी पत्नि स्व. जसवीर सिंह पुत्रवधु स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
7. **सुरेन्द्र** सिंह पुत्र स्व. जसवीर सिंह नवीरा स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
8. **कविता** पुत्री स्व. जसवीर सिह नवीरा स्व. मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी मालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०

__________**वादीगण**

बनाम

1. **राज० सरकार** जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०

__________**प्रतिवादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबतः– **घोषणात्मक डिक्री**

–:निर्णय:– **दिनांक:–** 22/5/25

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 158 के हाल खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116 / 758 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1200 / 228 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1212 / 2712 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0. 70 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.80 हैक्टर के खातेदार वदीगण संख्या 1 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी स्व. मनरूप पुत्र रामलाल दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि स्व. मनरूप को स्व. रामलाल से हिन्दू उत्तराधिकार से प्राप्त हुई हैं जिसका खाता विभाजन होकर जरिये इ0 संख्या 48 दिनांक 20.06.1989 से मनरूप को प्राप्त हुई हैं। जिसे जमाबंदी सम्वत 2043 से 2048 अनुसार दर्ज हैं।
3. यह कि वादीगण के हक पूर्वाधिकारी मनरूप पुत्र रामलाल का दिनांक 21.06.2003 को निधन हो गया। जिसका विरासतन इन्तकाल संख्या 468 दिनांक 20.05.2006 को जरिये न्यायालय आदेश पूर कर स्व. मनरूप के विधिक वारिसान वादी संख्या 6 लगायत 8 के हक पूर्वाधिकारी स्व. जसवीर पुत्र मनरूप, वादी संख्या 1 महताब, वादी संख्या 2 हवासिंह पुत्रान स्व. मनरूप व वादी संख्या 3 लगायत 5 के हक पूाधिकारी स्व. समुन्द्रसिंह पुत्र मनरूप तथा छोटेलाल पुत्र मनरूप के नाम दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 में नोट दर्ज रिकॉर्ड हैं। लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 में उक्त नामान्तकरण दर्ज होने के बावजूद भी वादी संख्या 1 व 2 तथा छोटेलाल व जसवीर सिंह व समुन्द्र सिंह के नाम जमाबंदी में समवत 2065 में व उसके बाद की जमाबंदीयों में दर्ज ना होकर मृतक मनरूप पुत्र रामलाल ही पूर्व की जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड की भांति ही दर्ज रिकॉर्ड हैं जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 में भी इसी प्रकार दर्ज रिकॉर्ड हैं। इसलिए वदीगण को उक्त भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक को 1 / 4–1 / 4 भाग की खातेदारी की घोषणा करवाने व वादी संख्या 3 लगायत 5 को अपने हक पूर्वाधिकारी स्व. समुन्द्र सिंह के हिस्से की भूमि में 1 / 4 हिस्से में से प्रत्येक को 1 / 12–1 / 12 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 6 ल[illegible] को भी उक्त भूमि में अपने पूर्वाधिकारी स्व. जसवीर के हिस्से [illegible] 1 / 12–1 / 12 भाग की खातेदारी की घोषणा करवाने की आवश्यकता है [illegible] वादीगण विधिक अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि स्व. मनरूप के पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटुराम का दिनांक 18.12.2021 को अविवाहित नाऔलाद अवस्था में निधन हो चुका हैं। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त छोटेलाल का हिस्सा 1/5 भाग जिसका इन्तकाल भी इ० सं० 468 के द्वारा दर्ज हुआ था का हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 को प्रत्येक को 1/4–1/4 भाग प्राप्त होगा तथा वादी संख्या 3 लगातय 5 को संयुक्त रूप से 1/4 भाग प्राप्त होगा तथा इसी प्रकार वादी संख्या 6 लगायत 8 को भी 1/4 भाग हिस्सा संयुक्त रूप से प्राप्त हो गया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणात्मक करवाने के अधिकारी हैं तथा वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/4 भाग की खातेदारी व वादी संख्या 6 लगायत 8 संयुक्त रूप से 1/4 भाग खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए वादीगण उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमानजी की सेवा में पेश हैं।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी स्व. समुन्द्रसिंह तथा वादी संख्या 6 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकरी स्व. जसवीर सिंह तथा उसके भाई छोटेलाल के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 468 दिनांक 20.06.1989 को दर्ज हो गया था और स्व. मनरूप के एक पुत्र छोटेलाल का जिनका नाऔलाद अविवाहित अवस्था में निधन हो गया था के नाम पूर हो गया था लेकिन उक्त इन्तकाल संख्या 468 दिनांक 20.06.1989 को दर्ज होने के बाद भी मृतक मनरूप का ही नाम उक्त भूमि में दर्ज हैं जो काबिले दुरूस्ती है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में स्व. मनरूप के स्थान पर वाद पत्र के खण्ड संख्या 4 में वर्णितानुसार भूमि अपने नाम की घोषणापरान्त उक्त भूमि का रिकॉर्ड अपने–अपने हिस्से के अनुसार दर्ज करवाने के व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

6. यह कि वादीगण के वाद वर्णित भूमि को वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. मनरूप के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, बुहाना को भी आवेदन पत्र दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमानजी के यहाँ पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

7. यह कि आधार विवाद वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता मनरूप का हिस्सा दर्ज होने तथा स्व. मनरूप के निधन होने पर स्व. मनरूप का विरास्तन इन्तकाल संख्या 468 दर्ज होने के बाद भी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज ना होने व प्रतिवादी के यहाँ भी इस बाबत आवेदन ... व उनके द्वारा कोई कार्यवाही ना करने के कारण पैदा हुआ है जो वादीगण ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8. यह कि बाद वर्णित विवादित भूमि वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० में स्थित है जो माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में है इसलिए उक्त वाद पत्र श्रवणाधिकार एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार हैं।
9. यह कि दावा दावा–घोषणात्मक खातेदारी व रिकॉर्ड दुरूस्ती पूर्ण न्यायालय शुल्क पर यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हैं।
10. यह कि दावा सी.पी.सी के प्रावधानों के अनुसार दो प्रतियों व शपथ पत्र में तथा दावा के साथ व हाल राजस्व रिकॉर्ड अपटूडेट पेश है जिसके समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम भालोठ स्थित हाल जमाबन्दी 2075–2078 के हाल खाता संख्या 158 के हाल खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/758 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1200/228 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1212/231 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.80 हैक्टर में वादी संख्या 1 व 2 को 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणात्मक करवाने की कृपा करें तथा वादी संख्या 3 लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/4 भाग की खातेदारी व वादी संख्या 6 लगायत 8 संयुक्त रूप से 1/4 भाग हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें तथा इसके बाद वाद वर्णित भूमि में इसी प्राकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद किये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम भालोठ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 158 में वादी संख्या 1 व 2 को सयुंक्त 1/4–1/4 हिस्से की एवं वादी संख्या 3 लगायत 5 सयुंक्त 1/4 हिस्से की तथा वादी संख्या 6 लगाय 8 को सयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाने हेतु वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीगण की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2066–2069, जमाबन्दी सम्वत 2062–2065, जमाबन्दी सम्वत 2058–2061, जमाबन्दी सम्वत 2054–2057, राजीनामा की सत्य प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मालोठ स्थित हाल जमाबन्दी 2075–2078 के हाल खाता संख्या 158 के हाल खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/758 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1200/228 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1212/231 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.80 हैक्टर में वादी संख्या 1 व 2 को 1/4–1/4 हिस्से का एंव वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/4 भाग का तथा वादी संख्या 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)

हासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 226 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 836**

महताब आदि बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ स्थित हाल जमाबन्दी 2075–2078 के हाल खाता संख्या 158 के हाल खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116 / 758 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1200 / 228 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1212 / 231 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 963 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.80 हैक्टर में वादी संख्या 1 व 2 को 1 / 4–1 / 4 हिस्से का एव वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1 / 4 भाग का तथा वादी संख्या 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 1 / 4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:07:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)